OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
SEEPZ-SEZ, ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.

PUBLIC NOTICE NO 48/2018

Sub: *"No Dues Certificate"* to SEZ units from Customs for De-Bonding from Seepz-SEZ-reg:

Attention of all Seepz-SEZ units is invited towards the procedure laid down in Public Notice No.05/2009 dated 01.09.2009 for De-Bonding from SEEPZ-SEZ.

2. To streamline the process further and to avoid delays in granting *"No Dues Certificate"* under the provision of Rule 74 of the SEZ Rules, 2006, the units will be required to submit the following documents/information to Customs while applying for De-Bonding from Seepz-SEZ:

a. Copies of APRs (Annual Performance Reports) duly submitted to the Office of Development Commissioner for the last five years.
b. List of Imported Capital Goods & Raw Materials/Consumable components including goods imported for repair on returnable basis, in year-wise format, for the last five years.
c. List of Indigenous Capital Goods & Raw Materials (year-wise) for the last five years.
d. List of actual Exports effected as on the date of application (year-wise) for the last five years.
e. Details of DTA Sales (year-wise) for the last five years.
f. List of goods showing Inter Unit Transfer (Receipts/Transfers) in year-wise format, for the last five years.
g. Details of balance stock as on date of *Exit* application with respect to Capital Goods and Raw Materials/Components/Spares/ Consumables etc.
h. Details and value of finished goods held in stock as on date of *Exit* application.
i. An undertaking stating that *"No entries with respect to certification of SOFTEX, Temporary Removals, Sub-Contracting/ Job work are pending in SEZ Online system"* against the Unit.
j. An undertaking stating that *"No Foreign Exchange Realization/s is/are pending"*.
k. Details of Cases/Legal issues (if any) pending against the Unit in any court of law.

l. Details of property attached/hypothecated (if any) by any Court/Tribunal/Bank or any other law enforcing agency.

m. Details of Pending CRA/Audit Objections against the Unit.

n. Furnish Indemnity Bond by the Unit.

3. Actions to be taken in terms of above conditions of this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Customs Officers. The earlier Public Notice No.05/2009 dated 01.09.2009 stand rescinded with immediate effect.

4. This is issued with the approval of Development Commissioner, Seepz-SEZ.

4/7/18

(ASHISH MISHRA)
Specified Officer

Copy to:

1. The Jt. Development Commissioner, Seepz-SEZ, Mumbai.
2. The Dy. Development Commissioner, Seepz-SEZ, Mumbai
3. All Sr Authorised Officers, Authorised Officers, Seepz-SEZ, Mumbai.
4. All Assistant Development Commissioners, Seepz-SEZ, Mumbai
5. Estate Section, Seepz-SEZ, Mumbai.
6. All Seepz-SEZ units through e-mail.
7. IT Section-for uploading on website.

विकास आयुक्त का कार्यालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096

सत्यमेव जयते

DT. 04.07.18

सार्वजनिक सूचना संख्या 48/2018

विषयः सीप्ज़-सेज़ से डिबॉन्डिंग के लिए सीमाशुल्क द्वारा सेज़ यूनिटों को "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के संबंध में।

सभी सीप्ज़-सेज़ यूनिटों का ध्यान सीप्ज़-सेज़ से डिबॉन्डिंग के संबंध में जारी दिनांक 01.9.2009 की सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2009 में निर्धारित प्रक्रिया की ओर आकर्षित किया जाता है:-

2. सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 74 के उपबंधों के अधीन "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने तथा इसमें होने वाले विलंब को दूर करने के लिए यूनिटों के लिए सीप्ज़-सेज़ से डिबॉन्डिंग के लिए आवेदन देते समय निम्नलिखित दस्तावेज़/सूचनाएं प्रस्तुत की जानी आवश्यक है:-

क. विकास आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत की गई पिछले पांच वर्षों के एपीआर (वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट) की प्रतिलिपियां।

ख. वर्षवार फॉर्मेट में पिछले पांच वर्षों के दौरान लौटाए जाने के आधार पर मरम्मत के लिए आयातित माल सहित आयातित पूंजीगत माल तथा कच्ची सामग्रियों/उपभोज्य संघटकों की सूची।

ग. पिछले पांच वर्षों (वर्षवार) के देशी पूंजीगत माल तथा कच्ची सामग्रियों की सूची।

घ. पिछले पांच वर्षों (वर्षवार) का आवेदन की तारीख को वास्तव में किए आयातों की सूची।

ङ. पिछले पांच वर्षों (वर्षवार) के डीटीए बिक्री का विवरण।

च. वर्षवार फॉर्मेट में पिछले पांच वर्षों का अंतर यूनिट अंतरण (प्राप्तियां/अंतरण) दर्शाने वाले मालों की सूची।

छ. पूंजीगत माल तथा कच्ची सामग्रियां तथा संघटक/अतिरिक्त पूर्जे/उपभोज्य के संबंध में बहिर्गमन आवेदन की तारीख को शेष स्टॉक का विवरण।

ज. बहिर्गमन आवेदन की तारीख को स्टॉक में रखे गए तैयार मालों का विवरण तथा मूल्य।

झ. यूनिट के विरूद्ध "सेज़ ऑनलाइन सिस्टम में सॉफ्टेक्स, अस्थायी हटाव (रिमूवल), उप संविदायन/फुटकर कार्य के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है" की पुष्टि करते हुए वचनबंध (अंडरटेकिंग)।

ञ. "विदेशी मुद्रा वसूली का कोई मामला लंबित नहीं है" की पुष्टि करते हुए वचनबंध (अंडरटेकिंग)।

ट. यूनिट के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/विधिक मामला लंबित नहीं है, (यदि कोई हो) का विवरण।

ठ. किसी न्यायालय/अधिकरण/बैंक अथवा किसी अन्य किसी कानून लागू करने वाली एजेन्सी द्वारा संपत्ति की कुर्की/दृष्टिबंधक (यदि कोई हो) का विवरण।

ड. यूनिट के विरुद्ध लंबित ऑडिट पारा/ आपत्तियों का विवरण

ढ. यूनिट द्वारा क्षतिपूर्ति- बंध (इन्डेम्निटी बॉन्ड) प्रस्तुत करना

3. इस सार्वजनिक सूचना की उपर्युक्त शर्तों के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई को सीमाशुल्क अधिकारियों के लिए स्थायी आदेश के रूप में समझा जाएगा। पूर्ववर्ती दिनांक 01.9.2009 की सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2009 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

4. यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आशीष
५।७।१८
(आशीष मिश्र)
विनिर्दिष्ट अधिकारी

प्रतिः-

1. संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
2. उप विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
3. सभी वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
4. सभी सहायक विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
5. संपदा अनुभाग, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
6. सभी सीप्ज़-सेज़ यूनिटों को ई-मेल द्वारा
7. आइटी अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए